

FORM No. III

App-A
Crim-1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम-रावतभाटा

..... बनाम
किस्म मुकदमा नं. सन 2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
16 ⁵ / ₁₉	<p>प्राचीता एव अन्तेगत धारा 128 एल.आर. एक्ट. कोद जंच प्रस्तुत हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जाते।</p> <p>प्राची प्रकाशचन्द विला के लक्ष्मीचन्द्र जैन निवासी बोरान तहसील रावतभाटा ने ग्राम धागणमउकला स्थित खेतदारी की आरजी नम्बर 818/249 रफका 0.86 है। लगानी 5.16 अचर की पत्थरगढी करसथे जाने हेतु नितेदन किया है। उक्त आरजी प्राची के खेतदारी एक ले दर्ज रेकाडि है।</p> <p>अतः प्राची की ग्राम धागणमउकला स्थित आरजी नम्बर 818/249 रफका 0.86 है। लगानी 5.16 अचर की बिना किली के कटजे से दरखलनामी बिना सेटलमेंट नमथे अनुसार पत्थरगढी करके के आदेश दिए जाते हैं। पत्थरगढी खर्च प्राची पहन करेगे। कमिश्नर शुन्क/0000/अचर अक्षरे एक हजार अचर प्राची से वसूल हो पालनाब तहसीलदार रावतभाटा को निरशा जावे कि पथकाराग को सूचित किया जाकर नियमानुसार उक्त आरजी की पत्थरगढी की जावे एवं कोई किवार हो तो पुनः पेडा करे पालना जात्र हो। पत्रादली के हाल शुमार हेकर नम्बर से कम हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा

